मासिक प्रेषण दि. 8 अगस्त, आरएमएस (पी.एस.ओ.) जयपुर-06

POSTAL REG. NO. RJ/JPC/M-17/2012-14 (RNI.REG.NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2013/अंक 08

कृपया इसे चौराहे पर चिपकाइये

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 अगस्त, 2013 मूल्य 50 पैसे

किसी काम की नहीं रही 'गारंटी'!

आम जन को राहत देने के लिए सरकार ने भले ही निर्धारित अवधि में काम पूरा होने की गारंटी देने वाला कानून 'लोक सेवा गांरटी अधिनियम' लागू कर दिया हो, लेकिन नौकरशाही के ढुलमुल रवैये में कोई फर्क नहीं पड़ा है। लोगों को टरकाने वाला उनका पुराना अंदाज आज भी कायम है।

ज्यादातर दफ्तरों में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आवेदन ही स्वीकार नहीं किए जाते। यदि किसी दबाव के चलते आवेदन ले भी लिए जाते हैं, तो आवेदक को चक्कर पे चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसका मतलब लोक सेवा गारंटी अधिनियम में काम की गारंटी नहीं है।

प्रदेश में विभिन्न सरकारी विभागों में 1,19,109 आवेदन लम्बित हैं। प्रदेश की राजधानी में भी हालत ठीक नहीं, यहां सबसे ज्यादा 26,117 आवेदन लम्बित हैं। दूसरे नंबर पर उदयपुर व तीसरे नंबर पर जोधपुर है, जहां क्रमशः 17,929 एवं 15,517 आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह अन्य जिलों में भी काफी समय से हजारों मामले लम्बित पड़े हैं।

क्या कहता है अधिनियम?

पूरे प्रदेश में 14 नवम्बर 2011 से राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम-2011 लागू है।

इस कानून में आम लोगों के रोजाना काम पड़ने वाले 15 विभागों की 53 सेवाओं को शामिल किया गया है। और हर काम के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की गई है।

कर्मचारी द्वारा नियत समय पर सेवाएं प्रदान नहीं करने पर उस पर 500 रुपए से 5 हजार रुपए तक की पैनल्टी लगाने का प्रावधान कानून में है।

जरूरी है जैव विविधता संरक्षण

कुदरत ने हमें भरपूर जैव विविधता दी है। लेकिन सच्चाई यह है कि बावजूद इसके हम बहुत कुछ गंवा बैठे हैं। इसके लिए हम खुद दोषी हैं और इसके दुष्परिणाम भी भुगत रहे हैं। खेती में रासायनिक खाद, कीटनाशक, जहरीली दवाओं के उपयोग से अरबों की संख्या में केंचुए, तितलियां, मधुमक्खियां, पक्षी और जीव-जंतु जो कि खेती के लिए व हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी समझे गए हैं समाप्त हो चुके हैं।

इससे भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो गई है और परागीकरण के नहीं होने से कई वनस्पतियां भी समाप्त होती जा रही हैं। बढ़ते प्रदूषण से हवा पानी भी अशुद्ध हो गया है। वन्य जीवों पर भी बुरा असर पड़ा है। इसलिए जैव विविधता के संरक्षण के लिए जन चेतना जागृत करना जरूरी हो गया है। इसके लिए हमें सामूहिक रूप से प्रयास करने होंगे।

- अंजनी पापड़ीवाल, नोखा (बीकानेर)

आपके नाम चिट्‌ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! पिछले कुछ दशकों से राजनीति में अपराधी व दागी नेताओं की पैठ बढ़ती जा रही है। इससे राजनीतिक एवं नैतिक मूल्यों में लगातार गिरावट आती जा रही है। कई भ्रष्ट व दागी नेता संसद व विधान सभाओं में हमारे जन प्रतिनिधि बन कर बैठे हैं। इससे स्वच्छ छवि वाले नेताओं पर से भी आम जन का विश्वास डगमगाने लगा है।

हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने आम जन की इस पीड़ा को समझा है। कोर्ट ने अपराधी व दागी किस्म के नेताओं को संसद और विधान सभाओं की सदस्यता से अयोग्य ठहराने का ऐतिहासिक फैसला दिया है। जेल की सजा भुगतते हुए वे चुनाव भी नहीं लड़ सकते। जनता अदालत के इस फैसले से खुश है।

राजनीतिक दलों को भी फैसले को स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखा यह जा रहा है कि इस फैसले से भी राजनीतिक दलों में बैचेनी है। सुशासन व पारदर्शी होने की बात करने वाले राजनीतिक दल पहले से ही केन्द्रीय सूचना आयोग के फैसले से भयभीत हैं और सूचना के अधिकार के दायरे में आने से कतरा रहे हैं।

अब शासन में जनता अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझने लगी है। देश में तेजी से बढ़ रहा भ्रष्टाचार आम जन को अखर रहा है। राजनीतिक दल भी इससे बखूबी वाकिफ हैं। आशा की जाती है ऐसे फैसलों से निकट भविष्य में हमारी राजनीतिक व्यवस्था का बेहतर स्वरूप उभर कर सामने आएगा।

भूमिहीनों को जमीन देने की तैयारी

केन्द्र सरकार भूमिहीनों और गरीबों को जमीन देने की तैयारी कर रही है। इस मुहिम से जुड़ी एकता परिषद के साथ मिलकर ग्रामीण विकास मंत्रालय इसके लिए नीति बनाने में जुटा है। इस नीति के लागू होने पर इसका लाभ आदिवासियों, किसानों व मजदूरों को मिलेगा। जमीन खेती और आवास निर्माण दोनों के उद्देश्य से दी जा सकेगी।

ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इसका लाभ राजस्थान को भी मिलेगा। प्रदेश में होने वाले चुनाव के मद्देनजर कोशिश यह की जा रही है कि इस पर केबिनेट की मंजूरी ले ली जाए।

वोट की गारंटी के लिए खाद्य सुरक्षा!

देश में आम चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को लुभाने के लिए केन्द्र की यूपीए सरकार गरीबों को सस्ता भोजन परोसने जा रही है। इसके लिए खाद्य सुरक्षा कानून पर आध्यादेश को मंजूरी दी गई है। आध्यादेश पर राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के भी हस्ताक्षर हो गए हैं। इसके लागू होने पर देश के 80 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा के दायरे में आ जाएंगे। गरीबों को सस्ती दरों पर 5 किलो अनाज एक से तीन रुपए किलो के दाम पर मिलेगा।

इसे सोनिया गांधी की महत्वाकांक्षी योजना बताया जा रहा है। कांग्रेस को उम्मीद है कि जैसे 2009 में मनरेगा से चुनावी वैतरणी पार करने में मदद मिली थी, इस बार खाद्य सुरक्षा कानून उसे सहारा देगा। राजस्थान में तो इस योजना को इसी माह की 20 तारीख से शुरू करने की कवायद शुरू कर दी गई है।

यह कैसा बिजली सुधार?

आमजन का महंगाई की मार से जीना मुश्किल हो रहा है। ऊपर से बिजली की दरों में हुई बढ़ोतरी ने उनकी कमर ही तोड़ दी है। प्रदेश में बिजली सुधार के नाम पर नई व्यवस्था की गई थी, लेकिन इससे कोई सुधार नहीं दिखाई दिया। न तो बिजली छीजत में कमी आई और न ही बिजली चोरी में।

आए दिन होने वाली मनमर्जी की बिजली कटौति ने शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं की नींद हराम कर रखी है। अधिक वोल्टेज की समस्या से बिजली उपकरण खराब हो जाते हैं। आखिर बिजली कंपनियों के कुप्रबंधन का भार जनता कब तक वहन करती रहेगी?

- भगवान सहाय मीणा, सवाई माधोपुर

आंगनबाड़ी के बच्चों को कुर्ता-पायजामा

प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों में पढ़ने वाले 12 लाख बच्चों को राज्य सरकार दो-दो कुर्ता-पायजामा देने जा रही है। इसका डिजाइन भी तैयार करा लिया गया है।

समेकित बाल विकास निदेशक एम.पी.स्वामी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में वर्तमान में 304 बाल विकास परियोजनाओं में 61 हजार 119 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत है। जिन पर स्कूल पूर्व शिक्षा के लिए 12 लाख से भी ज्यादा लाभार्थी बालक-बालिकाएं आते हैं। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत इन बच्चों को यूनिफार्म दी जानी है। इस प्रकार लगभग 24 लाख यूनिफार्म की आवश्यकता होगी।

जनता की नहीं सुनी तो अफसर को देना होगा जुर्माना

अब सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों सहित आम आदमी की शिकायतों व समस्याओं को सुनना और सही समाधान करना अफसरों व कर्मचारियों के लिए कानूनी रूप से जरूरी हो गया है। यदि वे तय समय सीमा में ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें 5,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

- राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अब एकल खिड़की स्थापित की जा रही है। यहां से परिवाद या शिकायत करने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त किए जा सकेंगे।
- ग्राम पंचायत स्तर पर शिकायत प्राप्त करने की व्यवस्था भी की जा रही है। प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर निर्मित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों में लोक सुनवाई सहायता केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं।
- इन केन्द्रों पर राजकीय कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक शिकायत या परिवाद प्राप्त करने की व्यवस्था की जा रही है। प्राप्ति की निर्धारित रसीद भी दी जाएगी। जिसमें परिवाद सुनने की तिथि, सुनवाई का समय, सुनने वाले अधिकारी का पदनाम व स्थान लिखा होगा।
- जल्द ही शिकायतों की सुनवाई के लिए लोक सुनवाई अधिकारियों के साथ-साथ प्रथम और द्वितीय अपील अधिकारियों की भी नियुक्ति की जा रही है। सुनवाई हर शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक होगी। लोगों की शिकायतों का निपटारा निर्धारित समय सीमा में होगा।
- अपील अधिकारियों को सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां दी गई है। इसलिए इनके फैसले के खिलाफ सिविल कोर्ट में अपील नहीं हो सकेगी। लोक सुनवाई अधिकारी के लिए भी अपीलीय अधिकारी का फैसला अन्तिम होगा।

यहां बंट रही है नकदी व मुफ्त उपहार

सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों की ओर से मुफ्त उपहार दिए जाने को निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को दूषित करने वाला बताया है। पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्र में किए कई ऐसे वादों से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बुनियाद हिल जाती है। इन्हें चुनाव आयोग आचार संहिता के दायरे में लाकर इनका नियमन कर सकता है। राजस्थान में तो चुनाव से पहले ही कई बजट घोषणाओं व योजनाओं के तहत नकद पैसा बांटा जा रहा है।

हालांकि सरकार इन्हें बजट घोषणाएं बताती है, लेकिन बजट घोषणा में साड़ी-कम्बल, स्कूली छात्राओं को साइकिल, मेरिट में आये विद्यार्थियों को टैबलेट जैसे वादों को जल्द पूरा करने के मकसद से नकद पैसा बांटा जा रहा है। अर्थशास्त्री प्रो. सतीष बत्रा का कहना है कि इससे यह सुनिश्चित नहीं है कि बांटा गया नकद पैसा उसी काम में खर्च हो रहा है।

बजेगी थाली और होगा कुआं पूजन

कन्या भ्रूण हत्या रोकने और बेटी बचाने के लिए कोटा जिले लुहावद ग्राम पंचायत ने अनोखी पहल की है। यहां बेटी के जन्म पर भी बेटे के जन्म की तरह थाली बजेगी और कुआं पूजन होगा। पंच और सरपंच बेटी के जन्म वाले घर जाकर फलदार पौधे भी लगाएंगे। जिसके घर बेटी होगी उसके परिवार को 15 अगस्त व 26 जनवरी को सम्मानित भी किया जाएगा।

कन्या भ्रूण हत्या की सूचना देने वाले को ग्राम पंचायत की ओर से 5100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा।

दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है भ्रष्टाचार

भारत में भ्रष्टाचार विश्व की तुलना में दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। विश्व में 27 फीसदी लोगों ने कहा कि उन्होंने पिछले 12 महीनों में रिश्वत देकर अपना काम कराया है, जबकि अकेले भारत में 54 फीसदी लोगों ने रिश्वत दी है। यानि हर दो में से एक व्यक्ति ने यह माना है कि उसने रिश्वत दी है।

ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल की ओर से किए गए सर्वेक्षण में यह सामने आया है। सर्वे में 40 फीसदी भारतीयों ने स्वीकार किया है कि भारत में भ्रष्टाचार सच में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भारत में सबसे ज्यादा भ्रष्ट संस्थानों में राजनीतिक दलों का नंबर रहा है।

देश में 75 फीसदी लोगों ने पुलिस को सबसे ज्यादा भ्रष्ट बताया है। करीब 47 फीसदी लोगों ने भ्रष्टाचार को एक बहुत गंभीर समस्या मानते हुए कहा कि इसका निदान बहुत जरूरी है। लोगों में भ्रष्टाचार मुक्त भविष्य के लिए सनक तेजी से बढ़ रही है, लेकिन वे नहीं समझते कि आम आदमी के कुछ करने से कोई फर्क पड़ेगा।

जैविक खेती को मिलेगा प्रोत्साहन

रासायनिक खाद और कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग से फसल पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को रोकने के लिए प्रदेश के पांच जिलों में राज्य सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। स्टेट प्लान के तहत इस कार्यक्रम में भीलवाड़ा सहित चित्तौड़गढ़, अलवर, सिरोही व झालावाड़ का चयन किया गया है। इसके तहत किसानों को प्रोत्साहन स्वरूप प्रति हैक्टेयर आठ हजार रुपए दिए जाएंगे।

प्रदेश में खरीफ सीजन से शुरू की गई यह योजना रबी सीजन में भी दोहराई जाएगी। इन जिलों में जैविक खेती करने वाले किसानों को यह लाभ दिया जाएगा। जैविक खेती में बर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट खाद, जीवाणु खाद, गोबर खाद आदि का इस्तेमाल किया जाता है।

ऑपरेशन में कोताही बरती अब डॉक्टर को देना होगा हर्जाना

झुंझुनूं निवासी कमला देवी ने चिड़ावा स्थित रुक्मणी देवी मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टर मनीष धनखड़ के खिलाफ उपभोक्ता मंच में परिवाद दर्ज कराया। कमला देवी ने दर्ज कराए गए परिवाद में मंच को बताया कि वह 24 जुलाई 2011 को बच्चेदानी का ऑपरेशन कराने के लिए अस्पताल में भर्ती हुई थी। ऑपरेशन डॉ. धनखड़ ने किया था। ऑपरेशन के बाद टांकों में इन्फेक्शन हो गया।

दूसरे डॉक्टर को दिखाने पर बताया गया कि ऑपरेशन के दौरान मूत्राशय की थैली कट गई है। इसलिए दोबारा ऑपरेशन कराना होगा। जब इस बारे में डॉ. धनखड़ से बात की गई तो उन्होंने दोबारा ऑपरेशन करने से मना कर दिया। आखिरकार, उसे झुंझुनूं के एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन कराना पड़ा। इस पर 36 हजार 764 रुपए खर्च हुए।

मंच ने सुनवाई पर डॉ. धनखड़ को ऑपरेशन में कोताही बरतने का दोषी मानते हुए आदेश दिए कि वह कमला देवी को 61 हजार रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करे। यह राशि दो महीने में चुकानी होगी, अन्यथा इस पर नौ फीसदी ब्याज भी देना होगा।

रोडवेज में महिलाओं का सफर सस्ता

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की सभी महिलाओं के लिए रोडवेज बसों के किराए में तीस फीसदी छूट देने की घोषणा की है। इसके एवज में सरकार की ओर से रोडवेज को सालाना 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। महिलाओं के अलावा वरिष्ठ नागरिकों को भी यह सुविधा दी गई है। यह सुविधा एक्सप्रेस, वोल्वो समेत सभी बसों में दी जाएगी।

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485